# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री नन्द किशोर शर्मा निवासी आशीर्वाद भवन, गारियावास, रेलवे स्टेशन के पास मावली जंक्शन तहसील मावली जिला उदयपुर — अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट — प्रत्यर्थी

**किस्म मुकदमा** — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 88/2025**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 06.10.2025**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से जरिये पत्र क्रमांक :— सूचना का अधिकार/2025/374 दिनांक 19.09.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री नन्द किशोर शर्मा, आशीर्वाद भवन, गारियावास, रेलवे स्टेशन के पास, मावली जंक्शन, उदयपुर द्वारा आवेदन आईडी संख्या 250819025060077234 दिनांक 09.02.2022 में सदस्य नन्द किशोर शर्मा का नाम हटाए जाने का कारण' मृत्यु दर्ज करने हेतु जो संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र अपलोड किया गया उसकी प्रमाणित प्रति चाही गई जिसके संबंध में उक्त प्रकरण वर्ष 2022 का है व वर्तमान में 2022 का कोई दस्तावेज जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने से दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते है। इस कार्यालय में कोई दस्तावेज (हार्डकोपी) उपलब्ध नहीं है। तथा अपीलार्थी द्वारा आवेदन आईडी संख्या 250819025060077234 दिनांक 09.02.22 में जिस ई मित्र या व्यक्तिगत आईडी से आवेदन किया गया उसका सम्पूर्ण विवरण जैसे आईडी का नाम एवं कोड संख्या, डाक का पता, मोबाईल नम्बर चाहे गये जिसके संबंध में जनाधार पोर्टल पर प्रदर्शित डाटा अनुसार ई मित्र आई डी का नाम ANKUR.MAHATMA है। अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।<br>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाओं के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक — सूचना का अधिकार/2025/374 दिनांक 19.09.2025 से अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वांछित सूचना बाबत सूचित किया गया। | |

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना हेतु संबंधित विभाग/कार्यालय में नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट को भिजवायी जावे।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

**लोक सूचना अपीलीय अधिकारी**
**(जिला कलक्टर) राजसमंद**

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)